पत्रांकः—वन भूमि—21/2023....................../प०व०ज०प०

बिहार सरकार

पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग

प्रेषक,

सुधीर कुमार,
वन संरक्षक—सह—अपर सचिव।

सेवा में,

अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (केन्द्रीय),
पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय,
एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय, द्वितीय तल,
झारखण्ड राज्य आवास बोर्ड मुख्यालय,
हरमू चौक राँची, झारखण्ड,
राँची—834002

पटना—15, दिनांक...........................

विषय :— शीर्ष PMGSY योजनान्तर्गत पुल L035-Narganjo to Bakhoribathan (TRACK22) LSB-HL RCC Bridge Over Salkhan Jor के निर्माण हेतु वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के तहत 0.0154 हे० वन भूमि अपयोजन प्रस्ताव पर सैद्धांतिक स्वीकृति के संबंध में।

महाशय,

निदेशानुसार उपर्युक्त विषय के संदर्भ में सूचित करना है कि शीर्ष PMGSY योजनान्तर्गत पुल L035-Narganjo to Bakhoribathan (TRACK22) LSB-HL RCC Bridge Over Salkhan Jor के निर्माण हेतु वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के तहत 0.0154 हे० भूमि अपयोजन का प्रस्ताव "कार्यपालक अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमंडल, झाझा द्वारा समर्पित किया गया है, जिसे प्रधान मुख्य वन संरक्षक, बिहार, पटना के अनुमोदनोंपरांत नोडल पदाधिकारी (वन संरक्षण) द्वारा उपलब्ध कराया गया है।

विषयांकित पथ पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग की अधिसूचना संख्या—0639-VIF-9/46R(ई०) दिनांक—10.07.1946 द्वारा आरक्षित वन के रूप में अधिसूचित है। प्रस्तावित परियोजना में 0.0154 हे० वन भूमि अपयोजन प्रस्तावित है।

वन प्रमंडल पदाधिकारी, जमुई द्वारा अंकित किया गया है कि प्रयोक्ता एजेंसी द्वारा वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 का उल्लंघन नहीं किया गया है। नोडल पदाधिकारी (वन संरक्षण), बिहार, पटना द्वारा अंकित किया गया है कि वन प्रमंडल पदाधिकारी, जमुई द्वारा भाग—II की प्रविष्टि में अंकित है कि परियोजना निर्माण के क्रम में वृक्षों का पातन नहीं होना है। वन प्रमंडल पदाधिकारी, जमुई द्वारा प्रतिवेदित किया गया है कि प्रस्तावित ब्रीज आरक्षित वन के अंतर्गत अवस्थित है जिसमें दोनों तरफ प्राकृतिक साल वन अवस्थित है। प्रस्तावित ब्रीज लगभग—33 गांवों से जोड़ता है। संबंधित गांवों को जोड़ने हेतु यही एक विकल्प है। इस क्षेत्र में प्राकृतिक वन से वृक्ष पातन की अधिकता है तथा ब्रीज से वृक्ष पातन में वृद्धि की प्रबल संभावना है। वन्यजीव जैसे खरगोश, मोर, सियार, जैकाल इत्यादि दृष्टिगोचर पाया जाता है।

विषयांकित अपयोजन प्रस्ताव हेतु वानस्पतिक घनत्व 0 (शून्य) है। अपयोजित होने वाली वनभूमि के लिए जिला पदधिकारी, जमुई द्वारा FRA, 2006 प्रमाण—पत्र निर्गत नहीं किया गया है, परन्तु भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली के पत्रांक—11-43/2013-FC दिनांक—

26.02.2019 के आलोक में प्रयोक्ता एजेंसी द्वारा FRA, 2006 प्रमाण–पत्र सैद्धांतिक स्वीकृति पत्र के अनुपालन के साथ उपलब्ध कराने संबंधी दिशा–निर्देश निर्गत की गयी है। तद्आलोक में बिना FRA, 2006 प्रमाण–पत्र के ही प्रस्ताव पर Stage-1 की स्वीकृति प्राप्त करने हेतु प्रस्ताव अग्रसारित किया जा रहा है।

वन (संरक्षण), अधिनियम, 1980 के तहत निम्नांकित शर्त्तों के साथ प्रस्ताव की अनुशंसा की जाती है :–

1. भूमि का वैधानिक स्वरूप यथावत रहेगा।
2. 0.0154 हे० वन भूमि के लिये नेट प्रजेन्ट भेल्यू (NPV) के मद में रू० 9.57780 लाख प्रति हे० के दर से रू० 14,750/–(चौदह हजार सात सौ पचास रूपये) मात्र प्रयोक्ता एजेंसी द्वारा पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, बिहार के पक्ष में जमा कराया जायेगा।
3. परियोजना निर्माण के क्रम में हरितावरण को बनाये रखने हेतु 100 वृक्षों के रोपण एवं सम्पोषण हेतु 10 वर्षीय प्राक्कलन की राशि प्रयोक्ता एजेंसी प्रधान मुख्य वन संरक्षक (विकास), बिहार के कार्यालय आदेश संख्या–03 दिनांक–01.11.2017 द्वारा निर्धारित दर के अनुसार अद्यतन मजदूरी दर पर पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, बिहार के पक्ष में जमा कराया जायेगा।

प्रस्ताव को संलग्न अभिलेख सहित भेजते हुए अनुरोध है कि उपर्युक्त प्रस्ताव के संदर्भ में लिये गये निर्णय से राज्य सरकार को संसूचित करने की कृपा की जाय।

विश्वासभाजन
ह०/–
(सुधीर कुमार)
वन संरक्षक–सह–अपर सचिव

ज्ञापांक :– वन भूमि–21/2023................./प०व०ज०प०, पटना–15, दिनांक...............................

प्रतिलिपि :–प्रधान मुख्य वन संरक्षक, बिहार, पटना/अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (कैम्पा)–सह–नोडल पदाधिकारी (वन संरक्षण), बिहार/"कार्यपालक अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमंडल, झाझा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह०/–
(सुधीर कुमार)
वन संरक्षक–सह–अपर सचिव

ज्ञापांक :– वन भूमि–21/2023 2509 (हि)/प०व०ज०प०, पटना–15, दिनांक 10/04/2023

प्रतिलिपि :–आई०टी० मैनेजर, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग को निदेश दिया जाता है कि प्रस्ताव को मंत्रालय के वेब–साईट पर अपलोड करते हुए पार्ट–2 उपलब्ध कराया जाय।

10/4/2023
(सुधीर कुमार)
वन संरक्षक–सह–अपर सचिव

VR S One-259

Van Bhumi:-21/2023

PART-V

(To be filled in by the Secretary Charge of forest Department or by any other authorizes officer of the State Government not below the rank of an Under Secretary)

Adverse comments made by any officer or authority in Part-B or Part-C or Part-D above should be specifically commented upon.

The proposed diversion of 0.0154 ha. For Construction of LSB- HL RCC Bridge under Jamui District may be sanctioned subject to the condition/stipulation mentioned in the forwarding letter.

Date:-10/4/2023

Place:-PATNA

Signature:- Sudhir Kumar

Name of Designation:-

Official Seal:- अपर सचिव पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग बिहार, पटना